रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2161] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 2017/श्रावण 12, 1939
No. 2161] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2017/SRAVANA 12, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2017

का. आ. 2461(अ).— जबकि, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में उल्लिखित) की धारा 30 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने भारत के राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल, 2008 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का. आ. 893 (अ) के जरिए इस अधिनियम की अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सभी संस्थानों के लिए 'परिषद्' की स्थापना की थी और तद्नुसार, संशोधनों के द्वारा भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान और भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर को भी माननीय राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात् क्रमश: 7 जून, 2012 और 4 मार्च, 2014 को अधिनियम के तत्वाधान में लाया गया।

2. और जबकि, अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (ब) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संसद सदस्यों को राज्य सभा और लोक सभा द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिषद् के सदस्यों के रूप में चुना गया है:

(i) श्री स्वप्न दासगुप्ता, सदस्य, राज्य सभा;

(ii) श्री लाडू किशोर स्वेन, सदस्य, लोक सभा; और

(iii) प्रो. राम शंकर, सदस्य, लोक सभा।

3. अत: अब अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के अनुसार सभी संस्थानों के कार्यकलापों का समन्वय करना परिषद् का सामान्य कर्तव्य होगा और धारा 32 की उप धारा (2) के अनुसार परिषद् उप-धारा (1) के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात्:-

(क) संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों, डिग्रियों और अन्य विशेष योग्यताओं की अवधि, दाखिले के मानदंड और अन्य शैक्षिक मामलों पर सलाह देना;

(ख) कर्मचारियों के संवर्गों, भर्ती की पद्धतियों और सेवा शर्तों, छात्रवृत्तियों और शुल्क मुक्ति को संस्थागत बनाना, शुल्क विधान और सामान्य हित के अन्य मामलों के संबंध में नीति-निर्धारण करना;

(ग) प्रत्येक संस्थान की विकास योजनाओं का परीक्षण करना और उनमें से आवश्यक समझी जाने वाली योजनाओं को अनुमोदित करना तथा इस प्रकार अनुमोदित योजनाओं के वित्तीय निहितार्थ को व्यापक रूप से दर्शाना;

(घ) यदि अपेक्षित हो, तो कुलाध्यक्ष को इस अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में परामर्श देना; और

(ड.) इस अधिनियम के अंतर्गत अथवा उसके द्वारा सुपुर्द कोई अन्य कार्य करना।

4. कार्यकाल आदि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभिशासित होंगे।

[फा. सं. 23-4/2008-टीएस.III (भाग)]
आर. सुब्रह्मण्यम, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2017

S.O. 2461(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub–section (1) of section 30 of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (29 of 2007) (herein after referred to as the 'Act'), the Central Government *vide* Notification No.S.O.893 (E), dated the 17th April, 2008 published in the Gazette of India, established 'The Council' for all the Institutes specified in column (3) of the Schedule of the Act and subsequently, the Indian Institutes of Science Education and Research and the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur have also been brought under the ambit of Act by way of amendments after getting assent of the Hon'ble President of India on 7th June, 2012 and 4th March, 2014, respectively.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred under clause (j) of sub-section (2) of section 30 of the Act, the following members of Parliament have been chosen as the members of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Council by the Rajya Sabha and Lok Sabha, respectively:

(i) Shri Swapan Dasgupta, Member, Rajya Sabha;

(ii) Shri Ladu Kishore Swain, Member, Lok Sabha; and

(iii) Prof. Ram Shankar, Member, Lok Sabha.

3. Now, therefore, as per sub-section (1) of section 32 of the Act, it shall be the general duty of the Council to co-ordinate the activities of all the Institutes and as per sub – section (2) of section 32 without prejudice of the provisions of sub-section (1), the Council shall perform the following functions, namely:-

(a) to advise on matters relating to the duration of the courses, the degrees and other academic distinctions to be conferred by the Institutes, admission standards and other academic matters;

(b) to lay down policy regarding cadres, methods of recruitment and conditions of service of employees, institution of scholarships and freeships, levying of fees and other matters of common interest;

(c) to examine the development plans of each Institute and to approve such of them as are considered necessary and also to indicate broadly the financial implications of such approved plans;

(d) to advise the Visitor, if so required, in respect of any function to be performed by him under the Act; and

(e) to perform such other functions as are assigned to it by or under the Act.

4. The Term of Office etc. will be governed as per the provisions of the Act.

[F. No. 23 – 4 / 2008 – TS.III (Pt.)]

R. SUBRAHMANYAM, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.05 15:10:06 +05'30'